स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अर्न्तगत 07 अप्रैल 2016 को जिला स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07 अपैल 2016 को समय सांय 4.00 बजे विकास भवन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गई है। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहें।

1. मुख्य विकास अधिकारी (उपाध्यक्ष),
2. जिला पंचायत राज अधिकारी (सदस्य/सचिव),
3. परियोजना निदेशक, (जि0ग्रा0वि0अ0),
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी,
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी
7. जिला सूचना अधिकारी,
8. अधिशासी अभियन्ता जल निगम,
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर,
10. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद शाहजहाँपुर।

सर्वप्रथम जिला पंचायत राज अधिकारी (सदस्य/सचिव) द्वारा जिलाधिकारी महोदय (अध्यक्ष) की अनुमति से समिति के सभी सदस्यों के समक्ष योजना की प्रगति के सम्बन्ध में एजेण्डावार विस्तार से अवगत कराया गया।

(1) जनपद स्तर पर कन्सलटेन्ट के सम्बन्ध–सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत रू0 35000.00 प्रतिमाह मानदेय पर तीन जिला कन्सलटेन्ट की नियुक्ति का प्राविधान है। जब कि जनपद मुख्यालय पर दो जिला कन्सलटेन्ट नियुक्त है। वर्तमान में एक और जिला कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जाना है।

अतएव मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 195/33–372015–110/2012 दिनांक 06.02.2015 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से जनपद स्तर पर रिक्त एक जिला कन्सलटेन्ट तैनाती कराये जाने हेतु जिला स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। और यह भी निर्णय लिया गया है कि जो डी0पी0सी0 चयन होकर आयेगा। उसकी दक्षता जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति के द्वारा परीक्षण कर प्रमाणित की जायेगी तभी तैनाती दी जायेगी।

(2) खण्ड प्रेरक के सम्बन्ध में–सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से जनपद के समस्त 15 विकास खण्ड में 15 खण्ड प्रेरक 10000.00 रू0 प्रतिमाह मानदेय पर तैनात किये गये थे। निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 5/1571/2015–5/21/2015 दिनांक 06/07/2015 में खण्ड प्रेरकों के कार्यो, दायित्व, मानदेय के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है जिसमें खण्ड प्रेरकों को यात्रा भत्ता आदि व्ययों को सम्मिलित करते हुए रू0 10000.00 प्रतिमाह का मानदेय देने के लिये निर्देशित किया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से जो भी खण्ड प्रेरक तैनात किये गये है रू0 10000.00 का मानदेय दिया जा रहा है।

साथ ही मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06.02.2015 को जारी प्रस्तर संख्या 11.7 के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में गाइड लाइन्स के अनुरूप प्रत्येक विकास खण्ड में दो–दो खण्ड प्रेरक रखे जाने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से प्रति विकास खण्ड एक–एक और खण्ड प्रेरक कुल 15 की मांग कर ली जाये। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा परीक्षण कर दक्षता प्रमाणित की जायेगी तभी तैनाती दी जायेगी।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

(3)–रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर–सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06.02.2015 को जारी प्रस्तर संख्या 11.7 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से 15 विकास खण्डों तथा दो जनपद स्तर पर कुल 17 कम्प्यूटर आपरेटर तैनात किये जाने है।

समस्त विकास खण्डों में एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं जनपद स्तर पर दो की तैनाती हेतु भी राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से मांग कर ली जाये। प्रस्तुत प्रस्ताव उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा परीक्षण कर दक्षता प्रमाणित की जायेगी तभी तैनाती दी जायेगी।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

(4)–रिक्त लेखाकार/योजना सहायक–सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06.02.2015 को जारी प्रस्तर संख्या 11.6 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से एक जनपद स्तर पर लेखाकार/योजना सहायक तैनात किया जाना है।

जनपद स्तर पर एक लेखाकार/योजना सहायक की तैनाती हेतु भी उक्त राज्य स्तर पर चयनित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से मांग कर ली जाये। चयन उपरान्त तत्काल तैनाती कराये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा परीक्षण कर दक्षता प्रमाणित की जायेगी तभी तैनाती दी जायेगी।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

(5)–प्रत्येक विकास खण्ड में विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0एस0पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में–जनपद को खुले में शौच मुक्त कराने हेतु अध्यक्ष महोदय से हुए विचार विमर्श में निर्देश दिये कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र संख्या 195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06 फरवरी 2015 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्ड में विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0एस0पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) (पदेन) ब्लाक सेनीटेशन आफीसर होंगे,

प्रत्येक विकास खण्ड द्वारा ब्लाक स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई बी0एस0पी0एम0यू0 को विकास खण्ड स्तर पर होने वाले समस्त प्रशासनिक गतिविधियां आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु एक बैंक खाता सरकारी बैंक में खुलवा लिया जाए, जिसमें त्रैमासिक अग्रिम धनराशि बी0एस0पी0एम0यू0 के खाते में सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी। खाते का संचालन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी पदेन एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पदेन के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगी। बी0एस0पी0एम0यू0 द्वारा प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण व बिल जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव जिला स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जायेगा तथा फोटोकापी विकास खण्ड स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0)

(6)–विकास खण्ड स्तर पर मोबिलिटी व्यवस्थाः–प्रत्येक विकास खण्ड में स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों को (ओ0डी0एफ0) कराये जाने हेतु मोबिलिटी की व्यवस्था कराई जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (पं0), खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड प्रेरक को ईधन सहित दो वाहन उपलब्ध कराया जाये। जिससे कि कार्यक्रम को गति दी जा सके, नियत किये गये समयार्न्तगत विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को (ओ0डी0एफ0) कराया जा सके। जिसका अनुमोदन जिला स्वच्छता समिति द्वारा दिया गया।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

(7)–जिला स्तर पर (डी0एस0पी0एम0यू0) हेतु वाहन की व्यवस्थाः–जनपद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्वच्छता परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु दो वाहन की व्यवस्था कराई जानी है। जिसके सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। जिसका अनुमोदन जिला स्वच्छता समिति द्वारा दिया गया।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

(8)–समुदाय संचालित स्वच्छता कार्यक्रम (सी0एल0टी0एस0)–सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जनपद में समुदाय संचालित स्वच्छता कार्यक्रम में चयनित ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने हेतु 120 प्रशिक्षणार्थियों की (सी0एल0टी0एस0) प्रशिक्षण की पांच दिवसीय कार्यशाला तथा अन्तिम दिवस में चयनित 225 ग्राम पंचायतों ग्राम प्रधानों सहित कार्यशाला (दिनांक 08 अप्रैल 2016 से 12 अप्रैल 2016) का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यशाला में अनुमानित व्यय रू0 आठ से नौ लाख (तीन दिनों के लिए–8 सीटर 16 वाहन किराये पर लिया जाना, पांच दिनों के लिए–नाश्ता, मध्याह्न भोजन, रात्रिभोज, चार दिनों के लिए–रात्रि विश्राम हेतु व्यवस्था, पांच दिनों के लिए–प्रशिक्षण स्थल किराये पर लिया जाना, साउण्ड सिस्टम, एल0सी0डी0, कुर्सी, मेज, जैनरेटर व डीजल, फ्लैक्स, साउण्ड सिस्टम प्रशिक्षण सामग्री एवं साहित्य इत्यादि) होना है।

उक्त प्रस्ताव पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि उक्त कार्यशाला की पत्रावली पृथक से प्रस्तुत करें तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सीएलटीएस की कार्यशाला/प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) हेतु चयनित 225 ग्राम पंचायतों हेतु समस्त सफाई कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड प्रेरक, जिला परियोजना समन्वयक व जिला स्वच्छता समिति के सदस्यों को आमन्त्रित किये जाये तथा अन्तिम दिवस को चयनित 225 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों एवं निगरानी समिति के सदस्यों, समस्त प्रशिक्षणार्थी को आमंत्रित कर वृहद कार्यशाला कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

ग्राम में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता विधि को लागू करने का तरीका– मूल रूप से इस विधि के चार चरण निम्नवत् होते है–

- Pre Triggering- इस चरण में सर्वप्रथम ग्राम में ग्राम की रूपरेखा व भौगोलिक स्थिति, रोजगार, रहन–सहन इत्यादि का आंकलन व वार्तालाप किया जाता है व निम्नवत प्रारूप पर सूचना एकत्रित की जाती है।

विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम में सम्मलित अन्य ग्रामों के नाम व संख्या	ग्राम की कुल आबादी	ग्राम में कुल परिवारों की संख्या	खुले में शौच जाने की वाले परिवारों संख्या	शौचालय से आच्छादित परिवार		शौचालय विहीन परिवारों की संख्या	ग्राम में सार्वजनिक स्थलों/सरकारी स्थलों के नाम व संख्या
						सरकारी सहायता से निर्मित शौचालयों की संख्या	स्वयं के साधनों से निर्मित शौचालयों की संख्या		

इस चरण में सकुशल संचालन हेतु दिनांक एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के सम्बन्ध में समस्त सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

- Triggering –इस चरण में प्रकिया ग्रामवासियों के समक्ष सम्बन्धित विकास खण्ड के Triggering विशेषज्ञ के द्वारा सम्पन्न की जाएगी तथा ग्राम में प्रत्येक वर्ग यथा महिला, पुरूष व बच्चों के मध्य में निगरानी समितियों का गठन किया जायेगा।
- Morning & Evening Nigrani – इस सफल Triggering के पश्चात इस चरण की काफी अहम भूमिका है। निगरानी समिति के माध्यम से ग्राम में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच जाने से रोकना है तथा खुले में शौच होने वाली बीमारियों, महिलाओं की अस्मिता, बच्चों के कुपोषण, गू से घृणा इत्यादि के सम्बन्ध में बात करनी है।
- Follow up फोलोअप की प्रकिया ग्राम की निगरानी समिति के माधपम से प्रतिदिन तब तक की जानी है जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने शौचालय का प्रयोग न करने लगे व ग्राम को कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाता हो साथ ही ग्राम को पूर्णतयः खुले से शौच मुक्त घोषित नही कर दिया।

(9)–(CLTS) **के माध्यम से जनपद की 225 ग्राम पंचायतों को खुले से शौच मुक्त करने का प्रस्ताव**–जिलाधिकारी महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड की 15–15 ग्राम पंचायतों, इस प्रकार कुल 225 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने का **31 जुलाई 2016 तक** का प्रस्ताव है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी से 15–15 ग्रामों कुल 225 ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची जो विगत वर्षो में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, राज्य पोषण मिशन के अर्न्तगत चयनित हों अथवा छोटी ग्राम पंचायत, जिनमें शौचालय निर्माण का लक्ष्य कम हो उसको चयनित कर पांच दिनों के भीतर शौचालय निर्माण हेतु सर्वे कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। सूची तैयार कराकर सभी ग्राम पंचायतों में समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), समस्त खण्ड प्रेरक, जिला स्तर अधिकारियों विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों तथा पंचायत स्तरीय कर्मचारियो को ग्राम पंचायतवार तैनात करते हुये निम्नवत रणनीति समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता विधि के द्वारा ग्राम को पूर्णतया खुले मे शौच मुक्त घोषित करना है कि अवशेष 300 ग्राम पंचायतों को 31 मार्च 2017 तक खुले मे शौच मुक्त घोषित करना है।

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समयबद्ध रूप से प्रदेश की समस्त ग्रामों/ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) बनाने के साथ–साथ (ओ0डी0एफ0) स्तर को निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है। खुले में शौच (ओ0डी0एफ0) करने हेतु केवल व्यक्तिगत शौचालय निर्माण ही नही अपितु समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
2. उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (ओ0डी0एफ0) खुले में शौच मुक्त को निम्नानुसार परिभाषित किया गया कि–
   (अ)–ग्राम वातावरण में कोई मल दृष्यमान न हों।
   (ब)–प्रत्येक घर के साथ–साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी का प्रयोग किया गया हो, सुरक्षित तकनीकी का अभिप्राय यह है कि मिट्टी भूगर्भ जल तथा धरातल पर उपलब्ध जल प्रदूषित न हो तथा उन पर मक्खियों व जानवरों की पहुंच न हो साथ ही किसी प्रकार की बदबू इत्यादि का अनुभव न हो।
3. मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिये प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत शौचालय तथा सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
4. खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम/ग्राम पंचायतों के उक्त परिभाषा के आलोक में सत्यापन के लिये कतिपय चेक लिस्ट/मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नलिखित है–
   - ग्राम सभा की बैठक में पूरी ग्राम पंचायत/ग्राम /मजरे को खुले में शौच. मुक्त करने हेतु प्रस्ताव पारित कर (ओ0डी0एफ0) प्रक्रिया की शुरूआत की जायेगी।
   - चूंकि (ओ0डी0एफ0) खुले में शौच मुक्त करना एक बार की प्रक्रिया नही है। अतः कम से कम दो बार (ओ0डी0एफ0) सत्यापन की प्रक्रिया की जायेगी। पहला सत्यापन ग्राम पंचायत/ग्राम मजरे को खुले में शौच मुक्त करने की घोषणा के तीन माह के अन्दर किया जायेगा। इसके उपरान्त (ओ0डी0एफ0) की निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु दूसरा सत्यापन प्रथम सत्यापन के लगभग 06 माह की अवधि पर किया जायेगा।
   - (ओ0डी0एफ0) सत्यापन हेतु ग्राम पंचायत को सत्यापन ईकाई माना जायेगा।

(10)– <u>स्वच्छता दूत नामित करने के सम्बन्ध में</u> –सम्पूर्ण जनपद को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने हेतु कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता को देखते हुए समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि जनपद में स्वच्छता दूत नामित किया जाये। यद्यपि स्वच्छता दूतों का कोई भी स्थाई संवर्ग नहीं वनाया जायेगा। प्रथम चरण में 31 जुलाई, 2016 तक 225 ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त किया (ओ0डी0एफ0) जायेगा। उक्त हेतु स्वच्छता दूत निम्नवत नियमानुसार नामित किये जायेगे।

<u>प्रथम चरण</u>– ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी, आशा, आगनवाड़ी कर्मियों, ए0एन0एम0 कर्मियों एवं मनरेगा योजनान्तर्गत नियुक्ति किये गये रोजगार सेवक अभ्यर्थियों से स्वच्छतादूत के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेगे।

द्वितीय चरण–आवेदन प्राप्त अभ्यर्थियों का जनपद स्तर पर लिखित परीक्षा हेतु केन्द्र बनाकर लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि में सम्पन्न कराई जायेगी।

तृतीय चरण– लिखित परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों का सामूहिक वाद–विवाद जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष आयोजित किया जायेगा।

चतुर्थ चरण–सामूहिक वाद–विवाद के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत आई0ई0सी0 मद के एच0आर0डी0 मद से क्षमता संवर्द्धन के लिए समुदाय संचालित संम्पूर्ण स्वच्छता विधि पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पंचम चरण– प्रशिक्षण के पश्चात स्वच्छता दूतों को सम्बंधित ग्राम/क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेदारी प्रदान की जायेगी।

(ब) स्वच्छता दूत के दायित्व व कर्तव्य – ग्राम स्तर पर समर्पित, प्रशिक्षित और उपर्युक्त रूप से प्रोत्साहित स्वच्छता कार्य बल की जरूरत है। इस बात को देश में किये गये अनेक निगरानी एवं मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययनों द्वारा बताया गया है। इन स्वच्छता दूतों/सेना को बहुउददेशीय औपचारिकताएं होती है। जिन्हें मांग सृजन और उसके बाद शौचालय निर्माण के दौरान पूरी करने की जरूरत होती है। लाभार्थी की पहचान करना, आई0ई0सी0 में सहायता करना, रिकार्डों का रख–रखाव करना तथा प्रगति की खोज खबर रखना अनिवार्य कियाकलाप है, जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर चलाये जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छता दूतों पर होने वाले व्यय को दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से लागू स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई0ई0सी0 घटक से वहन किया जाये। स्वच्छता दूतों सहित किसी भी व्यक्ति को शौचालय का निर्माण कराने के लिए परिवारों को प्रेरित करते है, जिससे परिणाम स्वरूप परिवार में खुले में शौच की प्रवृत्ति में बदलाव आता है को प्रति मामले में रू0 150.00 की प्रोत्साहन धनराशि दी जा सकती है। इसके अलावा स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्माण पश्चात मानदेय के प्राविधान की भी व्यवस्था की जा सकती है। स्वच्छता दूत के मुख्य दायित्व निम्नप्रकार है –

1. ग्राम में खुले से शौचमुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करना।
2. ग्राम में ग्रामवासियों को शौचालय बनाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
3. ग्रामवासियों को खुले में शौंच जाने से रोकना।
4. ग्राम में बनाई गई निगरानी समितियों में समन्वय स्थापित करना व उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
5. ग्राम को अगले छः महीने तक खुले में शौचमुक्त के प्रवृत्ति को स्थिर बनाये रखना।

(स)ग्राम पंचायत को खुले से शौच मुक्त करने पर कर्मचारी/अधिकारियों को उत्तरदायित्व/स्वामित्व प्रदान किये जाने एवं दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि के सम्बन्ध में–समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि ग्राम को खुले से शौच मुक्त करने के उद्देश्य से जिन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व/स्वामित्व ग्रहण की जायेगी उनको निर्धारित समयावधि 31 जुलाई 2016 तक ग्राम को खुले से शौच मुक्त करने व सत्यापन के पश्चात खुले से शौच मुक्त घोषित किये जाने पर निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दो चरणों में प्रथम चरण में खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) होने पर रू0 10000.00 एवं द्वितीय चरण में खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) स्थिति को बनाये रखने पर रू0 25000.00 प्रोत्साहन धनराशि के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत आई0ई0सी0 मद से प्रदान की जायेगी।

Phase one		Phase Two	
Incentive Amount (in Rs.)	Condition for Incentive	Incentive Amount (in Rs.)	Condition for Incentive
10000	For making/Declaring ODF on behalf of term and Conditions of SBM Guidelines	25000	For Sustaining of village for ODF till six months on behalf of term and Conditions of SBM Guidelines

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी)

Vikas word 2016